

 I R; eḡ t; rs	jktLFkku jkt&i=k fo' ks'kkad	RAJBIL/2000/1717 J.P.C./3588/02/2003-05 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	I kf/kdkj i dlf'kr	Published by Authority
	फाल्गुन 17, बुधवार, शाके 1927 - मार्च 8, 2006 Phalguna 17, Wednesday, Saka 1927- March 8, 2006	

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये
गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.419.- राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन कर के संदाय के दायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा तिल (सीसामम) के क्रय को कर से, उस सीमा तक जिस तक यह एक प्रतिशत से अधिक है, निम्नलिखित शर्तों पर 30.3.2001 से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

- कि यदि ऐसा तिल राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय किया जाता है, तो पुनः विक्रय के प्रयोजन के लिए यह प्ररूप एस टी 17 के प्रति क्रय किया जायेगा;
- कि इस प्रकार क्रय किया गया तिल, निर्यात के प्रयोजन के लिए प्ररूप एस टी 17 बी के प्रति राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को विकित किया जायेगा और ऐसा प्ररूप उसके निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा;
- ऐसे तिल के विक्रय पर प्रभारित या संगृहीतकर यदि कोई हो, राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा; और
- राज्य सरकार को पूर्व में संदत्त कर प्रतिदत्त नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-132]

राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.420.- राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, सरसों बीज को उस सीमा तक जिस तक कर की दर 1% से अधिक है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन इसके द्वारा कर के संदाय से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

- (i) कि सरसों का बीज तेल के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में क्रय किया गया है;
- (ii) कि ऐसे सरसों के बीज से विनिर्मित सरसों का तेल या तो राज्य में या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रित किया गया है; और
- (iii) कि यदि सरसों का बीज राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय किया जाता है, तो यह प्ररूप एस टी 17 के प्रति क्रय किया जायेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-133]

राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.421.- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा निर्देश देती है कि राज्य में अपने कारबार का स्थान रखने वाले किसी व्यवहारी द्वारा, राज्य में कारबार के ऐसे किसी भी स्थान से अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा किये गये सरसों के तेल के विक्रय के संबंध में, अधिनियम के अधीन संदेय कर प्ररूप "ग" में घोषणा या प्ररूप "घ" में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देने की शर्त के अधीन एक प्रतिशत की दर से संगणित किया जायेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-134]

राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.422.- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा निर्देश देती है कि नयी इकाई, जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख का या इसके पश्चात् राज्य में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करता है, स्थापित करने वाले किसी व्यवहारी द्वारा राज्य में कारबार के किसी स्थान से अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में, राज्य में विनिर्मित ऑटोपार्ट्स और ऑटो एनसिलिरी के विक्रयों के सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन संदेय कर, अन्तरराज्यिक विक्रयों के अनुक्रम में ऐसे माल के सम्बन्ध में लागू कर की दर के पचास प्रतिशत की दर पर, प्ररूप 'ग' में घोषणा या प्ररूप 'घ' में प्रमाणपत्र देने की शर्त पर, संगणित किया जायेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-135]

राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.423.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा छूट देती है-

- (i) सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक माल और पुर्जे, और राज्य में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक माल के विनिर्माण के लिये प्रयुक्त उप-साधन; और
- (ii) राज्य में मोटर यानों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त दुपहिया और तिपहिया को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर यान (टैक्टर से भिन्न) के पुर्जे और उप-साधन ।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-136]

राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.424.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की (समय-समय पर यथा-संशोधित) अधिसूचना सं. एफ.12(20)एफ.डी.टैक्स/2005-210, दिनांक मार्च 24, 2005 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि इसके नीचे दी गयी सूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट और किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग या उपयोग या विक्रय के लिए लाये गये माल के संबंध में किसी व्यवहारी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर ऐसी दर से तुरंत संदेय होगा जो उक्त सूची के स्तंभ 3 में उनके सामने दर्शित है :-

सूची

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर प्रतिशत में
1	2	3
1.	चीनी, बताशा, मिश्री, मखाना और चीनी के खिलौने	0.25
2.	स्टेनलेस स्टील इग्नोट्स, बिलिट्स, ब्लूमस, फ्लेट्स और प्लेट बार	0.5
3.	टिन प्लेट	1
4.	विनिर्माण या परिष्करण के लिए तिलहन (तिल को अपवर्जित करते हुए) और खाद्य तेल	1
5.	एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स	1
6.	मिनरल वाटर और सील बंद पात्रों में विक्रीत जल	1
7.	वातित जल	1
8.	एक्स-रे साधित्र और उपस्कर, मेडीकल इमेजिंग, डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक उपस्कर	1
9.	दुपहिया और तिपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर यान (ट्रैक्टर से भिन्न) और उनके पुर्जे एवं उप-साधन	1
10.	पवन चक्की और उनके उप-साधन	1
11.	तम्बाकू	1.5
12.	अफीम (चिरे हुए डोडों से भिन्न)	1.5
13.	सूजी और आटा	2
14.	ग्वार चाहे साबुत हो या खण्डित जिसमें दाल, चाहे परिष्कृत हो या नहीं, सम्मिलित है और ग्वार गम	2
15.	ऑप्टिकल फाइबर केबल और पॉलीएथिलिन इन्सुलेटेड जेली फिल्ड दूरसंचार (पी.आई.जे.एफ.) केबल।	2
16.	पेट्रोल को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार का औद्योगिक ईंधन, गैसोलीन, हाई स्पीड डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसीन ऑयल, एल पी जी (जिसमें टोल्यूईन, प्रोपेनी, ब्यूटाईलीन, ब्यूटाडाइन, ऐथेलीन, आक्साइलीन, मिक्स-एक्साइलीन, बेनजीन सम्मिलित है) ए टी एफ (एवीएशन	3

	टर्बाइन फ्यूल), फरनेस ऑयल, हेक्सील (सोलवेंट ऑयल), नेपथा, ल्यूब्रीकेन्ट (जिसमें ल्यूब ऑयल, ट्रान्सफार्मर ऑयल, ग्रीस सम्मिलित है) प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैली (जिसमें वैसलीन सम्मिलित है) (क्लोनिरेटेड पेराफिन वास को सम्मिलित करते हुए) पेराफिन वेक्स, एल एस एच एस (लो सल्फर हाई स्टॉक) सी बी एफ एस (कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक), किसी भी रूप में पेट्रोलियम कोक, मिनरल तारपीन तेल, हैवी एल्केलेट, मैथलोई एसीटेट, रीमेक्स, रिवाइव, किसी भी नाम से जाना जाने वाला सी-9	
17.	लाइट डीजल ऑयल	3
18.	लिव्हीफाइड नेचुरल गैस (एल.एन.जी.)	3.5
19.	सभी प्रकार के एल्कोहल रहित पेय और ब्रिवरेज	4
20.	आइसक्रीम	4
21.	दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया मोटर यानों या जीप ट्रेलर के मामले में चार पहियों से अधिक के मोटर यानों के टायर और ट्यूब और फ्लैप	4
22.	कॉफी, कोको।	4
23.	वायरलैस रिसेप्शन उपकरण और साधन, रेडियो और रेडियोग्रामोफोन, वी.सी.आर., वी.सी.पी., टेप रिकार्डर, ट्रान्जिस्टर और उनके पुर्जे एवं उप-साधन	4
24.	इलेक्ट्रॉनिक मीटर, फैक्स मशीन, एटीएम, सिम कार्ड और स्मार्ट कार्ड सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान; और उनके पुर्जे एवं उप-साधन	4
25.	जी.एस. स्टे सैट्स, इनसुलेटर, पिन इनसुलेटर, स्विच फ्यूज इकाईयां और आइसोलेटर्स सहित एल्यूमिनियम ढांचे, स्टील फेब्रिकेशन मद	4
26.	सभी प्रकार के टेलीफोन और उनके पुर्जे	4
27.	टेलीविजन सैट, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन	4
28.	लुब्रिकेन्ट्स	4
29.	अभ्यास पुस्तिकाओं को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कागज और कागज उत्पाद	4
30.	एच डी पी ई बैग और प्लास्टिक बैग और सेक	4
31.	ए सी एस आर कंडक्टर्स	4
32.	ट्रांसफार्मर्स	4
33.	हैंड पंप, उनके पुर्जे और उप-साधन	4
34.	कम्प्यूटर और उनके उप-साधन	4
35.	रंग और रंगने का मसाला, टैक्सटाइल प्रसंस्करण में प्रयुक्त रसायनों को सम्मिलित करते हुए टैक्सटाइल सहायक और स्टार्च	4
36.	फोटोकॉपियर	4
37.	हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स (अर्थमूविंग एवं माइनिंग मशीनरी), मोबाइल क्रेन्स और हाइड्रोलिक डम्पर्स	4
38.	सीमेन्ट	4
39.	बिदूमिन	4
40.	जैनेरेटिंग सैट	4
41.	टिन कन्टेनर्स	4

42.	विस्फोटक	4
43.	ए.सी. प्रेशर पाइप	4
44.	थर्मो मेकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार (टी.एम.टी.) सहित स्टील ढांचे और स्टील बार	4
45.	शोरा, बारूद, पोटाश और विस्फोटक	4
46.	सभी प्रकार का सेनेटरी का सामान और फिटिंग्स, पाइप और पाइप फिटिंग	4
47.	सेरेमिक, चमकीली और काचित टाइल्स	4
48.	ग्लास और ग्लास शीट	4
49.	पान मसाला (जर्दा मिक्स से भिन्न)	8
50.	वे ब्रिज	8
51.	लिफ्ट और ऐलीवेटर	8
52.	मार्बल काटने के औजार, गैंगसा, डायमण्ड बिट	8
53.	फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर	8
54.	पुर्जे और उप-साधन सहित सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र	8
55.	लाटरी टिकट	10
56.	सिगरेट, चिरूट, सिगार और सिगारीलोस	12
57.	गुस्त्रा और चूरी को सम्मिलित करते हुए जर्दा युक्त पान मसाला	20

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-137]

राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.425.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(67)एफ.डी. /टेक्स/2004-33, दिनांक 12 जुलाई, 2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इससे संलग्न सूची में उल्लिखित माल के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर से इस शर्त पर इसके द्वारा छूट देती है कि इस माल के संबंध में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अधीन उद्ग्रहणीय कर राज्य में संदत्त कर दिया गया है।

सूची

क्र. सं.	माल का विवरण
1.	स्टेनलैस स्टील इग्नोट्स, बिलिट्स, ब्लूमस, फ्लेट्स और फ्लेट बार
2.	टिन प्लेट
3.	विनिर्माण या परिष्करण के लिए तिलहन तिल को अपवर्जित करते हुए और खाद्य तेल

4.	एक्स-रे साधित्र और उपस्कर, मेडीकल इमेजिंग, डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक उपस्कर
5.	पवन चक्की और उसके उप-साधन
6.	अफीम (चिरे हुए डोडों से भिन्न)
7.	सूजी और आटा
8.	ग्वार चाहे साबुत हो या खण्डित जिसमें दाल, चाहे परिष्कृत हो या नहीं, सम्मिलित है और ग्वार गम
9.	ऑप्टिकल फाइबर केबल और पालीथीन इन्सुलेटेड जेली फिल्ड दूरसंचार (पी. आई.जे.एफ.) केबल।
10.	पेट्रोल को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार का औद्योगिक ईंधन, गैसोलीन, हाई स्पीड डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसीन ऑयल, एल पी जी (जिसमें टेल्यूईन, प्रोपेनी, ब्यूटाईलीन, ब्यूटाडाइन, ऐथेलीन, आक्साइलीन, मिक्स-एक्साइलीन, बेनजीन सम्मिलित है) ए टी एफ (एवीएशन टर्बाइन फ्यूल), फरनेस ऑयल, हेक्सील (सोलवेंट ऑयल), नेपथा, ल्यूब्रीकेन्ट (जिसमें ल्यूब ऑयल, ट्रान्सफार्मर ऑयल, ग्रीस सम्मिलित है) प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैली (जिसमें वैसलीन सम्मिलित है) (क्लोनिरेटेड पेट्राफिन वास को सम्मिलित करते हुए) पेट्राफिन वेक्स, एल एस एच एस (लो सल्फर हाई स्टॉक) सी बी एफ एस (कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक), किसी भी रूप में पेट्रोलियम कोक, मिनरल तारपीन तेल, हैवी एल्केलेट, मैथलोई एसीटेट, शीमेक्स, रिवाइव, किसी भी नाम से जाना जाने वाला सी-9
11.	लाइट डीजल ऑयल
12.	सभी प्रकार के एल्कोहल रहित पेय और ब्रिवरेज
13.	आइसक्रीम
14.	दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया मोटर यानों या जीप ट्रेलर के मामले में चार पहियों से अधिक के मोटर यानों के टायर और ट्यूब और फ्लैप
15.	कॉफी, कोको।
16.	वायरलैस रिसेप्शन उपकरण और साधित्र, रेडियो और रेडियोग्रामोफोन, टेलीविजन, वी.सी.आर., वी.सी.पी., टेप रिकार्डर, ट्रांजिस्टर और उनके पुर्जे एवं उप-साधन
17.	इलैक्ट्रॉनिक मीटर, फैंस मशीन, एटीएम, सिम कार्ड और स्मार्ट कार्ड सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक सामान; और उनके पुर्जे एवं उप-साधन
18.	जी.एस. स्टे सैट्स, इन्सुलेटर, पिन इन्सुलेटर, स्विच फ्यूज इकाईयां और आइसोलेटर्स सहित एल्यूमिनियम ढांचे, स्टील फेब्रिकेशन मद
19.	सभी प्रकार के टेलीफोन और उनके पुर्जे
20.	टेलीविजन सैट, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन
21.	लुब्रिकेन्ट्स
22.	अभ्यास पुस्तिकाओं को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कागज और कागज उत्पाद
23.	एच डी पी ई बैग और प्लास्टिक बैग और सेक्स
24.	ए सी एस आर कंडक्टर्स
25.	ट्रांसफार्मर्स
26.	हैंड पंप, उनके पुर्जे और उप-साधन
27.	कम्प्यूटर और उनके उप-साधन
28.	रंग और रंगने का मसाला, टैक्सटाइल प्रसंस्करण में प्रयुक्त रसायनों को सम्मिलित करते हुए टैक्सटाइल सहायक और स्टार्च

29.	फोटोकॉपियर
30.	हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स (अर्थमूविंग एवं माइनिंग मशीनरी), मोबाइल क्रेन्स और हाइड्रोलिक डम्पर्स
31.	सीमेन्ट
32.	बिटुमिन
33.	जेनरेटिंग सैट
34.	टिन कण्टेनर्स
35.	विस्फोटक
36.	ए.सी. प्रेशर पाइप
37.	थर्मो मेकैनिक्ली ट्रीटेड स्टील बार (टी.एम.टी.) सहित स्टील ढांचे और स्टील बार
38.	शोरा, बारूद, पोटश और विस्फोटक
39.	सभी प्रकार का सेनेटरी का सामान और फिटिंग्स, पाइप और पाइप फिटिंग
40.	सेरेमिक और चमकीली टाइल्स
41.	ग्लास और ग्लास की शीट
42.	पान मसाला (जर्दा मिक्स नहीं)
43.	वे ब्रिज
44.	लिफ्ट और ऐलीवेटर
45.	मार्बल काटने के औजार, गैंगसा, डायमण्ड बिट
46.	फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर
47.	पुर्जे और उप-साधन सहित सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र
48.	लॉटरी टिकट

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-138]

राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)

उप शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.426.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 24) की धारा 4 क क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(4) एफ.डी./कर अनुभाग/99-167 दिनांक 26.3.1999 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि राज्य में केबल सेवाएं उपलब्ध कराने वाले केबल टेलीविजन नेटवर्क के स्वत्व-धारी प्रति ग्राहक-कनेक्शन बीस रुपये प्रति मास की दर से मनोरंजन कर संदत्त करेंगे।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-139]

राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)

उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.427.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 24) की धारा 4 क क के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(1)एफडी/टैक्स डिवी/2000-309 दिनांक 30.3.2000 को तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा विखंडित करती है।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-140]

राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.428.- राजस्थान (होटल और वासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का राजस्थान अधिनियम सं. 9) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 4(67) एफ डी/टैक्स/2004-47 दिनांक 12.7.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि इस अधिनियम के अधीन होटलों और वासों के स्वामी द्वारा होटलों या वासों में उपलब्ध कराये गये विलासों के लिये संदेय कर निम्न प्रकार से है:

यदि विलासों के लिये प्रभारों की दर,	कर की दर
(i) प्रतिदिन या उसके भाग के लिए 1000/- रु. और अधिक है।	8 %
(ii) प्रतिदिन या उसके भाग के लिए 3000/- रु. और अधिक है	10 %

परन्तु हैरिटेज होटल के स्वामी द्वारा संदेय कर की दर, जब ऐसे होटलों में उपलब्ध कराये गये विलास के लिए प्रभारों की दर प्रतिदिन या उसके भाग के लिए 1000/- रु. और उससे अधिक है, 8% होगी।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए हैरिटेज होटल से, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित स्कीम के अधीन यथा परिभाषित हैरिटेज होटल अभिप्रेत हैं।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-141]

राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.429.- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का राजस्थान अधिनियम सं. 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-214 दिनांक 24.3.2005 को 8 मार्च, 2006 से इसके द्वारा विखण्डित करती है।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-142]
राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)
उप शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.430.- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3 के परन्तुक (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए विद्युत उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त विद्युत पर संदेय विद्युत शुल्क का इसके द्वारा परिहार करती है।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-143]
राज्यपाल के आदेश से,

(सुबीर कुमार)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.431.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ संख्या 2 में यथा-विनिर्दिष्ट यानों के विभिन्न वर्गों के लिए ग्रीन कर के नाम से उप-कर की दर उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर इसके द्वारा विहित करती है:-

सारणी

क्र.सं.	यान का वर्ग और आयु	उप-कर की दर (रूपयों में)
1	2	3
1.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप-धारा (10) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के समय ऐसे गैर परिवहन यान जो उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं:- (क) दुपहिया (ख) दुपहिया से भिन्न	250.00 500.00
2.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अनुसार सही हालत में होने के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के समय ऐसे परिवहन यान जो उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं।	200.00 प्रति वर्ष

[एफ.6(252)परि/टैक्स/मु./2006-144]

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवन्त सिंह भाटी)

उप शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.432.- पंजीयन अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पूर्व में पंजीयन जिला कार्यालय एवं उप पंजीयन जिला कार्यालय स्थापित करने के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या प1(12)वित्त/कर/97 दिनांक 23.02.1998 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्न संशोधन करती है :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 16 (जिला जयपुर से संबंधित) में :-

(1) उप जिले से संबंधित कॉलम संख्या 3 में -

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1. आमेर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1. जयपुर" प्रतिस्थापित की जाती है।

(ख) विद्यमान निम्नलिखित अभिव्यक्तियां विलोपित की जाती हैं:-

- "8. (i) सांगानेर प्रथम
(ii) सांगानेर द्वितीय
16. (i) जयपुर प्रथम
(ii) जयपुर द्वितीय
(iii) जयपुर तृतीय
17. (i) जयपुर चतुर्थ
(ii) जयपुर पंचम

- (iii) जयपुर षष्ठम
 18. (i) जयपुर सप्तम
 (ii) जयपुर अष्टम”
- (2) पंजीयन उप जिले की क्षेत्रीय सीमाओं से संबंधित कॉलम 4 में-
 (क) विद्यमान अभिव्यक्ति “तहसील आमेर, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर” के स्थान पर अभिव्यक्ति “तहसील जयपुर, तहसील आमेर एवं तहसील सांगानेर” प्रतिस्थापित की जाती है।
 (ख) विद्यमान निम्नलिखित अभिव्यक्तियां विलोपित की जाती है -
 “अनुसूची 11
 अनुसूची 12
 अनुसूची 1
 अनुसूची 1 क
 अनुसूची 1 ख
 अनुसूची 1 ग
 अनुसूची 2
 अनुसूची 2 क
 अनुसूची 2 ख
 अनुसूची 2 ग”

2. उक्त अधिसूचना में संलग्न निम्नलिखित अनुसूचियां विलोपित की जाती है :-
 “अनुसूची 11
 अनुसूची 12
 अनुसूची 1
 अनुसूची 1 क
 अनुसूची 1 ख
 अनुसूची 1 ग
 अनुसूची 2
 अनुसूची 2 क
 अनुसूची 2 ख
 अनुसूची 2 ग”

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-145]

राज्यपाल के आदेश से,

(मुकुन्द सोहोनी)

उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

वित्त विभाग
 (कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.433.- भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त विषयों के संबंध में विद्यमान अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य

सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदाभिधान के आधार पर इसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण उप जिला, जयपुर के उप-रजिस्ट्रार नियुक्त करती है :-

1. उप-रजिस्ट्रार जयपुर - I
2. उप-रजिस्ट्रार जयपुर - II
3. उप-रजिस्ट्रार जयपुर - III
4. उप-रजिस्ट्रार जयपुर - IV
5. उप-रजिस्ट्रार जयपुर - V
6. उप-रजिस्ट्रार जयपुर - VI
7. उप-रजिस्ट्रार जयपुर - VII
8. उप-रजिस्ट्रार जयपुर - VIII
9. उप-रजिस्ट्रार आमेर
10. उप-रजिस्ट्रार सांगानेर - I
11. उप-रजिस्ट्रार सांगानेर - II

इन उप रजिस्ट्रारों की उप जिले में समवर्ती अधिकारिता होगी।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-146]
राज्यपाल के आदेश से,

(मुकुन्द सोहोनी)
उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.434.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, भारत सरकार की विभेदकारी ब्याज दर (डी.आर.आई.) स्कीम और राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की स्वयं सहायता समूह योजना के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने के प्रयोजन से निष्पादित दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का इसके द्वारा परिहार करती है।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2006-147]
राज्यपाल के आदेश से,

(मुकुन्द सोहोनी)
उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.435.- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 102 क और 206 के साथ पठित धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समसंख्यांक पूर्व अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी, 2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा आदेश करती है कि कलक्टर, उक्त अधिनियम की धारा 92 द्वारा उसे दी गयी शक्तियों के प्रयोग में, आबादी के लिए या किन्हीं अन्य लोक नगरपालिक प्रयोजनों के लिए सिवाय चक भूमि पृथक् रख सकेगा और कलक्टर को उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह पृथक् रखी गयी थी, सिवाय चक राजस्व भूमि शहरी स्थानीय निकाय, जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण, शहर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद् और नगरपालिकाएं सम्मिलित हैं, को जिला स्तरीय समिति भूमि दर का 40 प्रतिशत प्रभारित करके आवंटित करने और क्रमशः उन प्राधिकरणों के व्ययन पर रखने की शक्ति प्रत्यायोजित करती है।

नामान्तरण भरा जायेगा और स्वीकृत किया जायेगा और जमाबंदियों में प्रविष्टियां केवल तब की जायेगी जब जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर सुधार न्यास, यथास्थिति, पूर्व में निक्षिप्त जिला स्तरीय समिति भूमि दर का 40 प्रतिशत घटाने के पश्चात् विक्रय आगमों/आवंटन/नियमितिकरण से प्राप्त रकम क्रमशः 30 प्रतिशत और 15 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में निक्षिप्त करेगा।

[एफ.6(9)रेवे/ग्रुप-VI/96-148]
राज्यपाल के आदेश से,

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास और आवासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.436- राजस्थान नगरीय सुधार अधिनियम, (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 43 और 60 के साथ पठित धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का व्ययन) नियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (2) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि लोकहित में इन संशोधनों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाना है चूंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इसे तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिये, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का व्ययन) (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 क का संशोधन.- राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का व्ययन) नियम, 1974 के विद्यमान नियम 6 क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“6 क नगर सुधार न्यास भूमि के विक्रय/आवंटन/नियमितिकरण की कीमत का 15 प्रतिशत हिस्सा नगर निगम/परिषद् या, यथास्थिति, नगरपालिकाओं को नगर सुधार न्यास की स्कीम के अनुक्षण के लिए अन्तरित करेगा:

परन्तु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 क के अधीन नगर सुधार न्यास के व्ययन के लिये रखी गयी भूमि के मामले में जिला स्तरीय समिति भूमि दर का 40 प्रतिशत जमा कराने के पश्चात्, उपर्युक्त 15 प्रतिशत हिस्सा उपर्युक्त निक्षिप्त रकम को घटाने के पश्चात् संगणित किया जायेगा।”

[एफ.12(14)नविआ/2006-149]

राज्यपाल के आदेश से,

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 8 मार्च, 2006

एस.ओ.437.- राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व में इस संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक प.15(10)कृषि 2 बी/90, दिनांक 27.9.1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान ‘परन्तुक’ के पश्चात् निम्नलिखित नया ‘परन्तुक’ जोड़ा जाता है:-

“परन्तु यह और कि सरसों के क्रय या विक्रय पर उद्गृहीत मण्डी शुल्क की दर एक सौ रुपये पर 1/- रुपये होगी।”

[एफ.12(14)कृषि/ग्रुप-2/2006-150]

राज्यपाल के आदेश से,

शासन सचिव